सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 ज्येष्ठ 21, गुरुवार, शाके 1948– जून 11 , 2026 अंक 11
Vol. 78 Jyaistha 21 , Thursday, Saka 1948–June 11, 2026 No. 11

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम / परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र
(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम वित विभाग के आदेश स एफ. 1 / 12 / एफ. डी.ई.आर. 187, दिनांक 10–04–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता महेश भट्ट (MAHESH BHATT) (नया नाम) पुत्र श्री लीलाधर भट्ट उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नं. 4. 3ए छोटी जानकी नगर प्रथम, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो अभी इससे पूर्व महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) (पुराना नाम) कहलाता था / कहलाती थी एवं जो च.श्रे.कर्मचारी के पद पर न्याय विभाग, न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर में नियुक्त होकर वर्तमान में लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यालय विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट प्रकरण सं. 1 श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर में नियुक्त हूँ, एतदद्वारा–

1. मैं स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नया नाम महेश (MAHESH) तथा उपनाम भट्ट (BHATT) ग्रहण करता हूं एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वार मेरे पूर्व नाम महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) से न जाने जाएं तथा न ही पहचाने जायें, अपितु मेरे द्वारा ग्रहण किये गये नये नाम महेश (MAHESH) उपनाम (BHATT) द्वारा जाने जायें।

2. मेरे उक्त निर्णय की साक्ष्य प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूं कि मैं एतद्पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बन्ध पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों / व्यवहारों एवं लेन–देनों तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में महेश (MAHESH) नाम के रूप में तथा भट्ट (BHATT) उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।

3. स्पष्टतः एतद्पश्चात तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तद्नुसार नया रखा गया नाम महेश (MAHESH) उपनाम भट्ट (BHATT) के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

इसके साक्षी में मैंने अपने पूर्व नाम महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) तथा नये नाम महेश भट्ट (MAHESH BHATT) का वर्णन किया है तथा दिनांक 23.03.2026 को अपने हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर निम्नलिखित की उपस्थिति मे उपयुक्त नाम महेश भट्ट (MAHESH BHATT) द्वारा जो पूर्व में मेहश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) कहलाता था हस्ताक्षार किय है।

महेश भट्ट
हस्ताक्षर

साक्षी

1. अनन्तराम नैण, रीडर
2. रवि कुमार, लिपिक–प्रथम
   कार्यालय विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट
   प्रकरण सं. 1 श्रीगंगानगर

नया नाम : महेश भट्ट (MAHESH BHATT)
पुराना नाम : महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA)

प्रतिहस्ताक्षर
योगेश जोशी
23.03.2026
न्ययाधीश विशेष न्यायालय
लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण
अधिनियम–2012 तथा बालक अधिकार
संरक्षण आयोग अधिनियम –2005
संख्या 1 , श्रीगंगानगर (राज.)
डी.डी.आ.कोड – 3532516

8565
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।